



The United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001

Act 9 of 2001

Keyword(s):

Liquor, Manufacture, Country Liquor

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या-061 (घ)

पंजीकृत संख्या-डीएन0/आर0ओ0-181/2001

(लाइसेंस दे गोस्ट विदाउट प्रीपेन्ट)

(Other text is mostly illegible due to blurriness and bleed-through from the reverse side of the page.)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1 (क) खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 22 मई, 2001 ई.

उत्तरांचल

संख्या 09/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001
देहरादून, 22 मई, 2001

अधिसूचना

“मास्त का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 पर दिनांक 22 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2001)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1980 का उत्तरांचल राज्या के लिए अर्थात् संशोधन करने के लिए

अधिनियम

कार्तिक मणराज्य के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जावेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
 (3) यह पहली अप्रैल, 2001 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

अधिनियम सं0 4, 2-संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910),
 सन् 1910 की प्राय जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 12 की उपधारा (3) को निकाल दिया
 12 का संशोधन जायेगा।

धारा 28 का संशोधन 3-मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ)
 और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :
 (क) धारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों
 पर प्रति-शुल्क :

मद सं0	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु0 प्रति ब0 ली0
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह मुसदाद्वारा इस देश में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और संग्रहित स्पिट : (ए) एल, बिथर, पोर्ट्लैंड साइडर तथा अन्य किण्वित (बी) सुगंधित स्पिट (औद्योगिक तथा सुसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर) (सी) व्हिस्की, ड्राई ड्रिंक, शराब, तृतीय श्रेणी का शराब (डी) शराब, कार्डियुल, मिश्रण तथा विनिर्मितियाँ जिनमें स्पिट ही जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औद्योगिकी के अतिरिक्त को छोड़कर) (इ) ब्राण्डी, जिनका उल्लेख स्पिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्पिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	60.00 रु0 प्रति ब0 ली0 600.00 रु0 प्रति ब0 ली0 600.00 रु0 प्रति ब0 ली0
3.	मांग	75.00 रु0 प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क :

मद सं0	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1.	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिकी द्रव्यों को छोड़कर) (निर्देशित शराबों को छोड़कर)	90.00 रु0 प्रति ब0 ली0
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह मुसदाद्वारा इस देश में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बिथर को छोड़कर)	60.00 रु0 प्रति ब0 ली0
3.	भारत में सुसाधनिक तैयारी	60.00 रु0 प्रति ब0 ली0
4.	मांग	75.00 रु0 प्रति किलोग्राम

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क

मद सं० उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण शुल्क की अधिकतम दर

1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्पिट :	
	(ए) एल. बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित	60.00 रु० प्रति ब० ली०
	(बी) सुगंधित स्पिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिमित्तियों को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(सी) वाइन	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिमित्तियाँ जिनमें स्पिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा मेषज को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, विस्की, रम, शोधित स्पिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्पिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	75.00 रु० प्रति ब० ली०
3.	भाग	75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(घ) घास-पत्तों के अर्थात् दिये-गए किसी लाइसेंस से उत्पादित कर्तित या संगृहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क

मद सं० उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण शुल्क की अधिकतम दर

1.	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रु० प्रति ब० ली०
2.	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्पिट :	
	(ए) एल. बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित	60.00 रु० प्रति ब० ली०
	(बी) सुगंधित स्पिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिमित्तियों को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(सी) वाइन	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा विनिमित्तियाँ जिनमें स्पिट हो जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा मेषज को छोड़कर)	600.00 रु० प्रति ब० ली०
	(इ) ब्राण्डी, जिन, विस्की, रम, शोधित स्पिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्पिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	75.00 रु० प्रति ब० ली०
3.	भाग	75.00 रु० प्रति किलोग्राम

(1) This Act may be called the United Provinces Excise Act (Amendment) 2001

(ड) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क

0000 00 00 00 0000 (प्रकटित कि विनाश प्रमाण दिखे)

मद उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण शुल्क की अधिकतम दर सं०

1. देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) 90.00 रु० प्रति ब० ली०
2. भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रजित शराब जिससे कि वह सुरक्षाद या रक्षात्मक भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और जो शोधित जड़ी बूटी, मिश्रण, (ए) एल. वियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित (बी) सुगंधित स्पिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर) (सी) चाईन (डी) शराब, कार्डियल मिश्रण तथा विनिर्मितियां जिनमें स्पिट हो जिनका उल्लेख अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो (ई) ब्राण्डी, जिन, किस्की, स्म, शोधित स्पिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्पिट जिसका उल्लेख न किया गया हो

धारा 4 इस अधिनियम से संयुक्त प्रान्त शासकरी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 02, सन् 2001) निरस्त है जायेगा।

आज्ञा सं० (पी० सी० पन्त)

No. 09/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 22, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001 (Uttaranchal Adhinyam no. 09 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 22, 2001.

THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT
(UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001
(UTTARANCHAL Act No. 09 of 2001)

[As passed by the Legislative Assembly in the Fifty-second Year of the Republic of India]

to amended the United Provinces Excise Act, 1910 in its application to Uttaranchal State

Be it enacted by the Uttaranchal Vidhan Sabha in the fifty-second-years of the Republic of India as follows:

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment), 2001.

(2) It extends to the whole of the Uttaranchal State.

(3) It shall be deemed to have come into force on April 1, 2001.

2. In section 12 of the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 4 of 1910), hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of section 12 of the Act No. 4 of 1910

3. In section 28 of the principal Act, in sub-section (3) for clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:

Amendment of section 28

(a) Countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 12 (1):

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(b) Excise or countervailing duty on excisable articles exported in accordance with the provisions of section 13:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari and other fermented alcoholic beverages)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer)	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Beer brewed in India	Rs. 60.00 per bulk litre
4.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(c) Excise or countervailing duty on excisable articles transported:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(d) Excise duty on excisable articles manufactured, cultivated or collected under any licence granted under section 17:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre
3.	Bhang	Rs. 75.00 per kilogram

(e) Excise duty on excisable articles manufactured in any distillery established, or any distillery or brewery licensed under section 18:

Item No.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
1.	Country Liquor (excepting Tari and fermented alcoholic beverages)	Rs. 90.00 per bulk litre
2.	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India; and rectified spirit :	
	(a) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	Rs. 60.00 per bulk litre
	(b) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(c) Wines	Rs. 600.00 per bulk litre
	(d) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	Rs. 600.00 per bulk litre
	(e) Brandy, gin, whisky, rums, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified.	Rs. 600.00 per bulk litre

Repeal—The United Provinces Excise Act (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2001 (Uttaranchal Ordinance no. 2 of 2001) is hereby repealed.

By Order,
(P. C. PANT)
Sachiv.